## औचित्यपूर्णता की विशेषताएँ (characteristics of Legitimacy)

वैधता या औचित्यपूर्णता कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसके कोई निश्चित निर्धारक तत्व या निर्माणकारी तत्व बतलाये जा सके, अपितु यह तो एक धारणा है, राजनीतिक जीवन की एक स्थिति है जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं बतलायी जा सकती हैं। औचित्यपूर्णता की विशेषताओं का स्तर और प्रभाव विश्व के समस्त देशों में एक जैसा नहीं हो सकता, अपितु ये विशेषताएं सम्बन्धित देश के लोगों के मानसिक स्तर, राजनीतिक मूल्य - विश्वास और आदतें तथा उनकी राजनीतिक चेतना की मात्रा पर निर्भर करती है।

औचित्यपूर्णता की मुख्य विशेषताएँ -

(1) औचित्यपूर्णता की धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की व्यवस्था की सुयोग्यता सम्मिलित है। - किसी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के लोग अपने विश्वासों के आधार पर उस प्रणाली को किस सीमा तक वैध समझते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों को सामने रखकर रक्त क्रान्ति या अन्य अवैधानिक साधन द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को लोगों की स्वाभाविक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकती। परन्तु सम्भव है कि कुछ समय पश्चात लोग यह स्वीकार करने लगे कि नई सरकार उनके हितों के अनुकूल है। यदि लोगों में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाये तो उस राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार औचित्यपूर्णता की धारणा में राजनीतिक व्यवस्था की यह योग्यता सम्मिलित है कि वह लोगों में इस विश्वास को उत्पन्न करे और

Avinash

बनाये रखे कि यह राजनीतिक व्यवस्था और उसके अन्तर्गत स्थापित की गयी संस्थाएं उनके हितों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त हैं।

(ii) औचित्य की धारणा के साथ प्रभावकता की धारणा सम्बद्ध है - प्रो. लियसेट के अनुसार किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और उसकी वैधता, उसकी प्रभावकता पर निर्भर है। वैधता की स्थिति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था केवल कहने भर के लिए ही नहीं हो, वरन् उसके द्वारा नागरिकों के जीवन पर आवश्यक प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सके। 'सज्जन की रक्षा और हित वृद्धि तथा दुर्जन को दण्ड' कौटिल्य के अनुसार राज्य का आवश्यक कार्य है और राजनीतिक व्यवस्था को वैधता तभी प्राप्त होती है जबकि उसके द्वारा प्रभावशाली रूप में इस कार्य को सम्पन्न किया जावे।

(iii) किसी व्यवस्था का औचित्य सम्बन्धित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है - किसी व्यवस्था को लोगों की स्वाभाविक या नैतिक सहमति अर्थात् वैधता तभी प्राप्त होती है जबकि वह देश की सर्वमान्य जनता के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित हो।

(iv) वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है - 'उचित शक्ति ही सत्ता होती है' (Legitimate Power is Authority) अर्थात् शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि उसने जन सामान्य की दृष्टि में वैधता को प्राप्त कर लिया हो। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास शक्ति का अस्तित्व है और उसके द्वारा दबाव या भय के आधार पर अपने आदेशों का पालन करवाया जाता है तो इसका आशय यह है कि यह व्यक्ति या संस्था केवल शक्ति सम्पन्न है, सत्ता सम्पन्न नहीं।

Avinash

इसका अभिप्राय यह है कि वैधता ही एक ऐसा गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिणत करता है।

(4) वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है- वैधता कुछ विशेष लोगों या केवल अभिजन पर निर्भर नहीं करती, वरन् विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है।

पुनः किसी व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कार्यप्रणाली और स्वरूप सम्बद्ध लोगों के मूल्यों और विश्वासों के अनुकूल होने चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रो. लिपसेट लिखते हैं कि 'समूह राजनीतिक व्यवस्था को वैध या अवैध इस आधार पर समझते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों का उनके अपने मूल्यों से सामंजस्य है अथवा नहीं।

Animesh